

प्ररूप सं. 13

[नियम 28 और 37छ देखिए]

कर की कटौती/कर का संग्रहण न करने या किसी निम्नतर दर पर कर की कटौती/संग्रहण के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 197 और/अथवा 206ग(9) के अधीन प्रमाणपत्र के लिए किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन

सेवा में,

निर्धारण अधिकारी

में, , निवासी.....यह अनुरोध करता हूँ कि मुझे आय/वेतन के रूप में राशि/प्रतिभूतियों पर ब्याज/“प्रतिभूतियों पर ब्याज” से भिन्न ब्याज/बीमा कमीशन/कमीशन (जो बीमा कमीशन नहीं है) या लाटरी टिकटों के विक्रय पर दलाती/कमीशन आदि/वृत्तिक या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस टेकेदारों और टेकेदारों को संदाय के रूप में किसी राशि/लाभांशों/किराए/यूनियों की बाबत आय/स्थायर संपत्ति के अर्जन पर प्रतिकर के संदाय के रूप में राशि (जो लागू न हो उसे काट दें) का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को, ऐसी आय/राशि को मुझे संदाय करने के समय आय-कर की कटौती न करने/आय-कर की कटौती करने के लिए.....प्रतिशत की दर से उसे प्राधिकृत करने संबंधी एक प्रमाणपत्र जारी किया जाए। मेरी आय की विशिष्टियां और अन्य ब्यौरे पैरा 2 के अनुसार हैं।

और/या

में.....निवासी.....यह अनुरोध करता हूँ कि विक्रेता को, जो मेरे द्वारा.....के

[धारा 206ग की उपधारा (1) की सारणी में निर्दिष्ट माल की प्रकृति विनिर्दिष्ट करें]

क्रेता के रूप में

[धारा 206ग की उपधारा (1) में की सारणी में निर्दिष्ट सविदा या अनुज्ञप्ति या पट्टे की प्रकृति विनिर्दिष्ट करें]

के पट्टेदार या अनुज्ञप्ति धारी के रूप में [जो लागू न उसे काट दें] संदेय राशि की बाबत मेरे से कर संग्रहीत करने वाला व्यक्ति है, यथास्थिति मेरे खते में ऐसी राशि नामे डाले जाने के समय या मेरे से उसकी प्राप्ति के समय प्रतिशत की दर से आय कर संग्रहीत करने के लिए अधिकृत करने संबंधी एक प्रमाणपत्र जारी किया जाए। मेरी आय की विशिष्टियां और अन्य ब्यौरे पैरा 2 के अनुसार हैं।]

2. मेरी आय की विशिष्टियां और अन्य ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

- प्रास्थिति
(बताएं क्या व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, फर्म, व्यष्टि निकाय, कंपनी आदि है)
- निवासीय प्रास्थिति
(क्या निवासी है/निवासी किंतु मामूली तौर पर निवासी नहीं है/अनिवासी है)
- स्थायी खाता संख्यांक (पेन)
- कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक (टेन)
- विवरण/विवरण जो देय है किन्तु फाइल नहीं की गई है का ब्यौरा :

वह धारा जिसके अधीन विवरणी/विवरण देय हो गई है	निर्धारण वर्ष/तिमाही	फाइल करने के लिए शोध्य तारीख	फाइल नहीं किए जाने के लिए कारण
(1)	(2)	(3)	(4)
धारा 139			
धारा 200			
धारा 206ग			

(vi) अंतिम तीन निर्धारण वर्ष के लिए लौटाई गई आय/निर्धारण की गई आय का ब्यौरा :

(फाइल की गई आय की विवरणी की प्रतियां उनके संलग्नक के साथ संलग्न करें और अंतिम तीन निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण आदेश, यदि निर्धारण किया गया है, की प्रतियां)

निर्धारण वर्ष	आय की विवरणी के अनुसार कुल आय	नवीनतम निर्धारण के अनुसार कुल आय	विवरणों में दी गई आय पर शोध्य जिसमें ब्याज भी सम्मिलित है कुल कर	निर्धारण की गई आय पर कुल कर जिसमें संदेय ब्याज भी सम्मिलित है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(vii) अंतिम तीन निर्धारण वर्ष के लिए कर संदाय का ब्यौरा :

निर्धारण वर्ष	कुल कर का भुगतान	अग्रिम कर के रूप में	स्रोत पर काटे गए	स्रोत पर संग्रहण किए	स्वनिर्धारण कर के रूप में संदत्त कर	धारा 156 के अधीन मांग की सूचना के उत्तर में संदत्त कर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	कर जिसमें ब्याज भी सम्मिलित है	संदत्त कर	कर के लिए दावा किया गया प्रत्यय	गये कर के लिए दावा किया गया प्रत्यय		

(viii) उस निर्धारिती की दशा में पिछले तीन पूर्व वर्षों के लिए विक्रय, लाभ आदि के ब्यौरे जिसकी आय में शीर्ष “कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ” के अधीन आय सम्मिलित है :

(पिछले तीन पूर्व वर्षों के लिए संपरीक्षा रिपोर्ट, यदि संपरीक्षा की गई हो, के साथ लाभ और हानि लेखा और तुलन पत्र की प्रतियां संलग्न करें)

पूर्व वर्ष	कारबार या वृत्ति की कुल विक्रय, व्यापरावर्त प्राप्ति	कुल लाभ		शुद्ध लाभ	
		रूप में	स्तंभ (1) में कथन की गई रकम प्रतिशत में	रूप में	स्तंभ (1) में कथन की गई रकम प्रतिशत में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(ix) आय-कर अधिनियम, 1961 और धन-कर अधिनियम, 1957 के अधीन विद्यमान दायित्व के ब्यौरे :

निर्धारण वर्ष/अवधि	आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन दायित्व				धन-कर अधिनियम, 1957 के अधीन संदेय रकम
	अग्रिम कर के संबंध में संदेय रकम	स्वतः निर्धारण कर के लिए संदेय रकम	रकम जिसके लिए धारा 156 के अधीन मांग की सूचना की तामील हो गई है किन्तु संदत्त नहीं की गई है	कटौतीकर्ता या संग्रहकर्ता के रूप में संदेय रकम जो शोधय हो गई थी किन्तु संदत्त नहीं की गई	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(x) निर्धारण वर्ष जिससे संदाय संबंधित हैं

(xi) ऊपर (x) में निर्दिष्ट निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष की प्राक्कलित कुल आय (विस्तृत संगणना और उसका आधार बताएं)

(xii) (xi) में दी गई आय पर संदेय ब्याज सहित कुल कर

(xiii) स्तंभ (ix) और स्तंभ (xii) में उल्लिखित दायित्व को किस प्रकार उन्मोचित किया जाना प्रस्तावित है?

(xiv) वर्तमान पूर्व वर्ष से आज तारीख तक संगत निर्धारण वर्ष के लिए अग्रिम कर और पहले ही कटौती किए गए/संग्रहीत कर के संदाय के ब्यौरे

पूर्व संदत्त कर की प्रकृति	संदाय/कटौती/संग्रहण की तारीख
अग्रिम कर	
स्रोत पर कर कटौती	
स्रोत पर कर संग्रहण	

(xv) स्तंभ (xi) में छूट दिए जाने के लिए दावा की गई और कुल आय में सम्मिलित न की गई आय के ब्यौरे (कृपया ऐसी छूट का दावा करने के कारण देने वाला एक टिप्पण उपाबद्ध करें)

(xvi) कृपया कर की कटौती न करने या, यथास्थिति, आय-कर अधिनियम की धारा 197 के अधीन निम्नतर दर पर कर की कटौती करने की बाबत विशिष्टियां उपबंध 1 में और/अथवा धारा 206ग(9) के अधीन निम्नतर दर पर कर के संग्रहण की बाबत विशिष्टियां उपबंध 2 में प्रस्तुत करें।

*मैं जो का न्यासी/सह न्यासी हूँ, यह घोषणा करता हूँ कि उपाबंध में जिन प्रतिभूतियों/राशियों/शेयरों (अंशों) की विशिष्टियां दी गई हैं, वे न्यास के अंतर्गत पूर्णतया पूर्ण या धार्मिक प्रयोजनों के लिए समुचित रूप से रखी हुई हैं और यह कि उनसे होने वाली आय आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 11 और 13 के अधीन छूट के लिए अर्हक हैं।

*मैं यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर अनुसूचियों में जिन प्रतिभूतियों/राशियों/शेयरों की विशिष्टियां दी गई हैं, वे मेरे नाम में हैं और फायदाप्रद रूप से मेरे स्वामित्व में हैं तथा उससे होने वाली आय आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 60 से 64 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित किए जाने योग्य नहीं है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में जो कुछ कहा गया है वह सही है।

तारीख
स्थान

.....
हस्ताक्षर
.....
.....
पता

*जो लागू न हो, उसे काट दें।

उपाबंध 1

[स्रोत पर कर की कटौती के प्रयोजन के लिए]

कृपया उन संदायों की बाबत, जिनके लिए प्रमाणपत्र की ईप्सा की गई है, नीचे दी गई अनुसूचियों में विशिष्टियां प्रस्तुत करें।

अनुसूची 1

प्रतिभूतियों का वर्णन	प्रतिभूतियों की संख्या	प्रतिभूतियों की तारीख	प्रतिभूतियों की रकम	प्राप्त किए जाने वाले ब्याज की अनुमानित रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अनुसूची 2

क्र. सं.	उस व्यक्ति का नाम और पता, जिसे ब्याज पर राशियां दी गई हैं	ऐसी राशियों की रकम	वह तारीख, जिसको ऐसी राशियां ब्याज पर दी गईं	वह अवधि, जिसके लिए ऐसी राशियां ब्याज पर दी गईं	ब्याज की दर	प्राप्त किए जाने वाले ब्याज की अनुमानित रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

अनुसूची 3

क्र. सं.	बीमा कमीशन का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पता	बीमा कमीशन की अनुमानित रकम
(1)	(2)	(3)

अनुसूची 4

क्र. सं.	कंपनी का नाम और पता	शेयरों की संख्या	शेयरों का वर्ग और प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य	शेयरों का कुल अंकित मूल्य	शेयरों की सुभिन्न सं.	प्राप्त किए जाने वाले लाभांश की अनुमानित रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

अनुसूची 5

क्र. सं.	नियोजक का नाम और पता	नियोजन की अवधि	प्राप्त वेतन की रकम	गृह संपत्ति से आय	वेतन और गृह संपत्ति से आय से भिन्न स्रोतों से आय	अनुमानित कुल आय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

अनुसूची 6

क्र. सं.	किराये का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त किए जाने वाले किराये की अनुमानित रकम
(1)	(2)	(3)

अनुसूची 7

क्र. सं.	पारस्परिक निधि का नाम और पता	यूनिटों की संख्या	यूनिटों का वर्ग और प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य	यूनिटों का कुल अंकित मूल्य	यूनिटों की सुभिन्न संख्या	प्राप्त की जाने वाली आय की अनुमानित रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

अनुसूची 8

क्र. सं.	कमीशन (जो धारा 194घ में निर्दिष्ट बीमा कमीशन नहीं है) या दलाली का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त की जाने वाली कमीशन (जो धारा 194घ में निर्दिष्ट बीमा कमीशन नहीं है) या दलाली की अनुमानित रकम
(1)	(2)	(3)

अनुसूची 9

क्रम सं.	उस प्राधिकारी/व्यक्ति का पूरा नाम और पता जिसके साथ संविदा की गई थी	संविदा की तारीख	संविदा की प्रकृति	वह तारीख जिसको संविदा में का कार्य पूरा होगा	चातु वित्तीय वर्ष और ठीक तीन उत्तरवर्ती वर्षों में से प्रत्येक के दौरान संविदा के अनुसरण में जमा/संदत की जाने के लिए संभावित राशियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

अनुसूची 10

क्रम सं.	लाटरी की टिकटों की बिक्री पर कमीशन, पारिश्रमिक या पुरस्कार (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (व्यक्तियों) का/के नाम और पता	प्राप्त की जाने वाली कमीशन/पारिश्रमिक/पुरस्कार की अनुमानित रकम (जो लागू न हो उसे काट दें)
(1)	(2)	(3)

--	--	--

अनुसूची 11

क्रम सं.	वृत्तिक/तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (व्यक्तियों) का/के नाम और पता (पते)	वृत्तिक/तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त की जाने वाली फीस की अनुमानित रकम (जो लागू न हो उसे काट दें)
(1)	(2)	(3)

अनुसूची 12

क्रम सं.	उस व्यक्ति का नाम और पता, जो प्रतिकर या बढ़ाए गए प्रतिकर या प्रतिफल या बढ़ाए गए प्रतिफल का स्थावर संपत्ति के अनिवार्य अर्जन किए जाने के कारण संदाय करने के लिए उत्तरदायी है	प्रतिकर या बढ़ाए गए प्रतिकर या प्रतिफल या बढ़ाए गए प्रतिफल की प्राक्कलित रकम
(1)	(2)	(3)

तारीख

स्थान

.....

(हस्ताक्षर)

.....पता

उपाबंध 2

(स्रोत पर कर के संग्रहण के प्रयोजन के लिए)

कृपया उन संदेय रकमों की विशिष्टियां दें जिनके नीचे दी गई 'अनुसूचियों' में प्रमाणपत्र की ईप्सा की गई है :

अनुसूची 1

क्रम सं.	विक्रेता का पूरा नाम और पता	विक्रय की तारीख ऐसे विक्रय के निर्देश सं. सहित	विक्रीत माल की प्रकृति और वर्णन तथा विक्रय के ब्यौरे	चालू वित्तीय वर्ष और ठीक तीन उत्तरवर्ती वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विक्रय के अनुसरण में नामे डाले जाने वाली/संदत्त की जाने वाली संभावित रकमें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अनुसूची 2

क्रम सं.	उस व्यक्ति का पूरा नाम और पता जिसे पट्टा या	पट्टा या अनुज्ञप्ति या	संविदा या अनुज्ञप्ति या	चालू वित्त वर्ष और ठीक तीन उत्तरवर्ती वर्षों के
----------	---	------------------------	-------------------------	---

	अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है	संविदा या अधिकार का अंतरण अनुदत्त करने की तारीख संदर्भ संख्या सहित	पट्टा की प्रकृति और संविदा का वर्णन और ब्यौरे	दौरान संविदा के अनुसरण में नाम डाले जाने वाली संदत्त किए जाने के लिए आशयित रकमें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

तारीख

स्थान

.....
 क्रेता के हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

पदनाम.....